

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षकए छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in दूरभाषः 0771 — 2512840

क./भू-प्रबंध/विविध/115-741/2063

रायपुर, दिनांक 🕼 /12/2019

प्रति,

प्रमुख सचिव छत्तीसगढ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर

Diversion of 12.899 ha. of forest land in favour of CAF, Narayanpur, Chhattisgarh for Construction of 16th B.N. (I.R.) C.A.F. Head Quarter Establishment under Forest Conservation Act, 1980 in Narayanpur District in विषयः the State of Chhattisgarh.

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र संदर्भः-क्रमांक/FC-II/CH-120/2019-NGP/5835 दिनांक 17.10.2019

> 2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा.चि./ न. क्र.—39/2019 / 3876 दिनांक 04.12.2019 -00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें (छाया प्रति संलग्न)।

संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा विषयांकित प्रकरण में 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हआ है जो निम्नानसार है:–

члчі	लय का प्रापा हुआ ह जा गिम्मागुसार ह-	
क्र	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
i	Project layout plan map conspicously depicting component wise breakup of the area required for	सेनानी 16वीं वाहिनी (भा.र.) छ.ग. बल का व्यपवर्तन के लिए आवश्यक ले–आउट प्लान का मानचित्र
	diversion has not been submitted clearly	संलग्न है।
	depicting all project components.	(संलग्नक–1)
ii	Original Part-I mentioning the name of signing	मूल भाग–एक में प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं
	authority and date of submission in not submitted	दिनांक का उल्लेख करते हुए भाग–1 संलग्न किया
	along with the proposal.	गया है। (संलग्नक–2)
iii	Details on employment potential likely to be	आवेदक संस्थान द्वारा रोजगार की संभावना का
	generated in terms of skilled, Semi-skilled and	विवरण की जानकारी दी गई है (संलग्नक–3) ।
	unskilled persons/ mandays (permanent and	
	temporary by implementation of the project is not	
	submitted by the user agency. The same shall be	
	provided by the User Agency.	
iv	As per para 4.4.4 of the hand book issued by the	कार्यालयीन पत्र क्र/ भू–प्रबंध/ विविध/115–13
	MoEF & CC all such proposal involving forest	/2256 दिनांक 17.07.2018 द्वारा समिति का गठन
	land more than 5.00 ha. are to be placed before	किए जाने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप छ.ग. शासन वन
	the committee coustitued by the State	विभाग को भेजा गया है।
	Government under that para. It is therefore	
	requested to furish the copy of the order of the	8
	State Government appointing such committee.	
कपया उपरोक्त प्रतिवेदन मय संलग्नक भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को अग्रेषित करने क		

अनुरोध है। संदर्भ पत्र 1 एवं संलग्नक (2.... पृष्ठीय) संलग्नः-

-प्रबंध /वं. स. अ) अ.प्र.म्.व.स (भ छत्तीसगढ

- 513 -Letter Vividh 2019 (1)